स0स0–1/विविध–67/2016– 176 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–29/07/2025

विषयः– **"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रु0 543,99,00,000/– (रुपये पाँच सौ तैतालिस करोड़ निन्यानवे लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से द्वितीय किस्त के रूप में राशि रू0 25,00,00,000/– (रूपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश स0–277(1), दिनाक–16.03.2021 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, भोजपुर (आरा) (बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज सहित) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 मे कुल रु0 543,99,00,000/– (रुपये पॉच सौ तैतालिस करोड निन्यानवे लाख) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य योजना मद से द्वितीय किस्त के रूप में राशि रू0 25,00,00,000/– (रूपये पच्चीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2–इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश स0/आवटनादेश सं0 एव दिनांक
1	2021–22	1,15,50,00,000	स0–411(1), दिनाक–16.06.2021
2	2023–24	20,00,00,000	स0–536(7), दिनाक–27.02.2024
3	2024–25	2,50,00,000	स0–49(7), दिनाक–27.05.2024
4	2024–25	80,00,00,000	स0–136(7), दिनाक–21.08.2024
5	2024–25	96,96,00,000	स0–406(7), दिनाक–31.01.2025
6	2024–25	60,00,00,000	स0–591(7), दिनाक–28.03.2025
7	2025–26	16,50,00,000	स0–97(7), दिनाक–19.06.2025
		3,91,46,00,000	

3– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत राज्य मे 05 (पॉच) नये मुख्यमत्री निश्चय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय राज्यादेश स0–567(1) दिनाक–02.05.2016 द्वारा प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु0 400.00 करोड (रुपये चार सौ करोड) की अनुमानित लागत दर से कुल 05 (पॉच) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु0 2000.00 करोड (रुपये दो हजार करोड) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–277(1), दिनाक–16.03.2021 मे निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

5– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान–050–भूमि–0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एव पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबधित राशि से किया जायेगा।

6– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स0स0–1/विविध–67/2016 के पृष्ठ– 141/टि0 पर प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

28.7.25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–1/विविध–67/2016– 176 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक–29/07/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर (आरा)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.7.25

सरकार के अपर सचिव